सोशल सिक्यॉरिटी (सामाजिक सुरक्षा) और अशक्तता

लकवे के साथ जी रहे लोगों की मदद के लिए दो मुख्य सोशल सिक्यॉरिटी प्रोग्राम उपलब्ध हैं: सोशल सिक्यॉरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस (सामाजिक सुरक्षा अशक्तता बीमा) और सप्लीमेंटल सिक्यॉरिटी इनकम (संपूरक सुरक्षा आय)।

प्र: सामाजिक सुरक्षा अशक्तता बीमा (सोशल सिक्यॉरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, SSDI) क्या है?

सोशल सिक्यॉरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जिसे संक्षेप में "डिसेबिलिटी" भी कह दिया जाता है, अशक्तता के कारण काम करने में असमर्थ लोगों के लिए एक मासिक भुगतान है।

प्र: संपूरक सुरक्षा आय (सप्लीमेंटल सिक्यॉरिटी इनकम, SSI) क्या है?

सप्लीमेंटल सिक्यॉरिटी इनकम (SSI) एक प्रोग्राम है जो सीमित आय वाले लोगों को मासिक भुगतान प्रदान करता है। अलग-अलग राज्यों में इसके लाभ अलग-अलग होते हैं, पर इसमें मेडिकएड (Medicaid), पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (सप्लीमेंटल न्यूट्रीशन असिस्टेंस प्रोग्राम, SNAP) और मेडिकेयर (Medicare) प्रीमियमों की कवरेज शामिल हो सकती है।

प्र: कौन SSDI के लिए पात्र है?

सोशल सिक्यॉरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस (SSDI) की पात्रता कार्य करने की असमर्थता पर आधारित होती है। सोशल सिक्यॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA) के नियमों के तहत अशक्त माने जाने के लिए व्यक्ति को ऐसी

मेडिकल स्थिति होनी आवश्यक है जिसके कारण मृत्यु होनी या जिसका 12 माह से अधिक चलना अपेक्षित हो और जो व्यक्ति को काम करने से रोकती हो।

अशक्तता लाभों हेतु योग्य होने के लिए अशक्तता की परिभाषा संतुष्ट करने के साथ-साथ, यह भी आवश्यक है कि आपने सोशल सिक्यॉरिटी के तहत पर्याप्त समय तक कार्य किया हो, और आपकी कार्यावधि बहुत पुरानी न हो। यह आवश्यक है कि व्यक्ति ने अशक्तता से ठीक पहले कम-से-कम 5 से 10 वर्ष कार्य किया हो और FICA टैक्स चुकाए हों।

प्र: क्या मैं SSDI प्राप्त करते हुए भी काम पर लौटने की कोशिश कर सकता/ती हूँ?

हाँ। SSDI लोगों को एक 9 माह की ट्रायल अवधि देता है जिसमें वे अपने लाभ खोए बिना काम करना दोबारा शुरू कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि काम लगातार नौ माह किया जाए, पर वह 5 वर्ष की अवधि के भीतर होना चाहिए। 2025 में, आप जिस भी माह में टैक्स काटे जाने से पहले $1,160 से अधिक कमाते हैं उस माह को इस ट्रायल अवधि में गिना जाता है। इन नौ माह के दौरान आय पर कोई सीमा लागू नहीं है। रोज़गार और अशक्तता के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर राष्ट्रीय पक्षाघात संसाधन केंद्र का रोज़गार तथ्य पत्रक https://www.christopherreeve.org/wp-content/uploads/2023/11/Employment-for-PWD-QA-10-23-A.pdf देखें।

प्र: कौन SSI के लिए पात्र है?

SSI की पात्रता कार्य इतिहास पर आधारित नहीं है। 65 वर्ष या अधिक उम्र वाले ऐसे वयस्क जिनकी आय सीमित है, और अशक्तता या अंधता के साथ जीने वाले किसी भी उम्र के लोग SSI के लिए पात्र होते हैं।

किसी अशक्तता से ग्रस्त ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, या 22 वर्ष से कम उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चे SSI के पात्र होते हैं। पात्रता जन्म से शुरू हो सकती है।

प्र: यदि मेरा SSDI या SSI आवेदन अस्वीकार हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

अस्वीकृत आवेदनों के लिए कई स्तरों पर अपील की जा सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान, समय-सीमाओं पर करीब से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है: **सभी अपीलें हर निर्णय से *60 दिनों के भीतर* जमा कर दी जानी चाहिए**।

- यदि सोशल सिक्यॉरिटी आपका शुरुआती क्लेम ठुकरा देता है, तो आप निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं। आपके राज्य में एक अशक्तता निर्धारण सेवाएँ (डिसेबिलिटी डिटरमिनेशन

सर्विसेज़, DDS) परीक्षक आपके अनुरोध और मूल आवेदन पर गौर करेगा। आप अपना अनुरोध SSA की वेबसाइट https://www.ssa.gov/apply/appeal-decision-we-made/request-reconsideration पर जमा कर सकते हैं। साथ ही, आप आवेदन अनुरोध प्रिंट करके अपने राज्य ऑफ़िस को डाक से भेज भी सकते हैं। अपना राज्य ऑफ़िस ढूँढने में या अपना अनुरोध जमा करने में मदद के लिए, SSA हेल्पलाइन को 1-800-772-1213 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच सहायता हेतु कॉल करें।

- यदि आपका पुनर्विचार अनुरोध ठुकरा दिया जाए, तो आप अशक्तता सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। सुनवाई ऑनलाइन, फोन पर या आमने-सामने आयोजित की जाएगी; एक जज आपसे प्रश्न पूछेगा और वह गवाही के लिए मेडिकल विशेषज्ञों या गवाों को कॉल कर सकता है। आप सुनवाई का अनुरोध SSA की वेबसाइट https://www.ssa.gov/apply/appeal-decision-we-made/request-hearing पर कर सकते हैं।

- यदि आप जज के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आप अपील काउंसिल द्वारा समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं। आप अपील काउंसिल सुनवाई का अनुरोध SSA की वेबसाइट https://www.ssa.gov/apply/appeal-decision-we-made/request-review-hearing-decision पर कर सकते हैं।

- यदि आप अपील काउंसिल से सहमत नहीं हैं, तो आप नज़दीकी अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्टहाउस में दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं और फिर शिकायत तथा कोर्ट के बुलावों की कॉपियाँ सर्टिफ़ाइड या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने नज़दीकी सोशल सिक्योंरिटी जनरल काउंसेल (मुख्य अधिवक्ता) के ऑफ़िस भेज सकते हैं। जनरल काउंसेल का ऑफ़िस ढूँढने के लिए, SSA हेल्पलाइन को 1-800-772-1213 पर कॉल करें।

प्र: क्या अपील प्रक्रिया में कोई मेरी मदद कर सकता है?

चूँकि इनके नियम जटिल हैं, अतः कई आवेदक सोशल सिक्योंरिटी कानून में विशेषज्ञता रखने वाले अधिवक्ताओं की सेवाएँ लेते हैं। संभव है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा दावाकर्ता प्रतिनिधि संगठन (नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ सोशल सिक्योंरिटी क्लेमेंट्स रेप्रेज़ेंटेटिव्स) इस प्रकार के स्थानीय अधिवक्ता सुझा सके। और जानकारी के लिए उसकी वेबसाइट https://nosscr.org/ पर जाएँ या 845-682-1881 पर कॉल करें।

स्रोत: सोशल सिक्योंरिटी एडमिनिस्ट्रेशन।

किसी से बात करनी है?

हमारे जानकारी विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं।

सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से अर्द्धरात्रि 12 बजे (पूर्वी समयानुसार) तक टोल फ़्री नंबर 1-800-539-7309 पर कॉल करें।

या https://connect.paralysis.org/hi/send-us-your-question पर कॉल निर्धारित करें अथवा ऑनलाइन प्रश्न पछें।

इस संदेश में निहित जानकारी आपको पक्षाघात और उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व सुविज्ञ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस संदेश में निहित किसी भी चीज़ का अर्थ चिकित्सीय निदान या उपचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही वह इसके लिए प्रयोग करने हेतु उद्दिष्ट है। इसका उपयोग आपके चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाता की सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया शीघ्रता से अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को फोन करें या उनसे मिलें। कोई भी नया उपचार, आहार या तंदुरुस्ती कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करें। आपको कभी-भी इस संदेश में पढ़ी गई किसी चीज़ के कारण चिकित्सीय सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए।

इस प्रकाशन को कुल $1,00,00,000 मूल्य के वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में सामुदायिक जीवन-यापन प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन फ़ॉर कम्युनिटी लिविंग, ACL), अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएँ विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़, HHS) की ओर से सहायता मिलती है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण ACL/HHS द्वारा किया जाता है। विषय-वस्तुएँ रचियता(ओं) द्वारा रचित हैं और आवश्यक नहीं कि वे ACL/HHS, या अमेरिकी सरकार के आधिकारिक विचारों को या उनके द्वारा विषय-वस्तुओं के समर्थन को दर्शाती हों।